

>

Title: Need to provide adequate compensation to the farmers of Nagpur whose land is being acquired for setting up of Special Economic Zone.

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : महोदय, देश में विशेष आर्थिक सहायता जोन में परिवर्तन किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में मल्टीमीडल इंटर-नेशनल हब एयरपोर्ट नागपुर (मोहन प्रकल्प) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन हैं, जिसमें किसानों की 4311 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। इस भूमि का मुआवजा केवल 5 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में बहुत असंतोष है। जमीन का बाजार भाव आज नागपुर के पास एक करोड़ रुपये एकड़ से भी ज्यादा है। केन्द्र सरकार के द्वारा इसे अनुमति दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इस भूमि के अधिग्रहण से कई किसान घर से बेघर हो जायेंगे एवं किसानों में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती ही जायेंगी। किसानों की आत्महत्याएं तुंत रोकने हेतु बाजार भाव के हिसाब से, यानी कम से कम एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मोहन प्रकल्प में किसानों को मुआवजा दिया जाये। इसके अलावा जिस किसान की जमीन अधिग्रहीत की गयी हो, उसके परिवार से एक व्यक्ति को इस प्रकल्प में एक साल के भीतर नौकरी दी जाये।